कार्यालय, मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद, भोपाल

प्रकरण क्रमांक-516/अपील वर्ष 2018-19

श्री शब्बीर खां — अपीलार्थी

विरूद्ध

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंचायत विदिशा — रेस्पोण्डेन्ट

::आदेश::

(पारित दिनांक 26 दिसम्बर, 2018)

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार हैं:-

1. श्री शब्बीर खां (जिसे आगे अपीलार्थी कहा गया हैं) ग्राम पंचायत बजीराबाद, जनपद पंचायत कुरवाई, जिला विदिशा में ग्राम रोजगार सहायक के पद पर पदस्थ थे।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत कुरवाई के आदेश क्र. 3047 दिनांक 23 अगस्त 2018 में उल्लेखित अनुसार ग्राम पंचायत बजीराबाद के ग्राम बोथी के निवासियों द्वारा शिकायत की गई कि अपीलार्थी द्वारा हितग्राहियों से कार्य की रिश्वत ली गई हैं।
3. उक्त शिकायत की दिनांक 04 अगस्त 2018 को जांच की गई। अपीलार्थी द्वारा स्वयं स्वीकार किया गया कि उसके द्वारा श्री लाखनसिंह से प्रधानमंत्री आवास योजना के राशि रूपये 5000/-, श्री सोनू पुत्र श्री बलराम से समग्र आईडी में परिवार पृथक करने हेतु राशि रूपये 500/- एवं श्री अमोलसिंह से मनरेगा योजनांतर्गत मजदूरी के राशि रूपये 5000/- रिश्वत ली गई हैं।
4. उक्त आधार पर अपीलार्थी को दोषी पाते हुए एवं उसकी स्वीकारोक्ति के आधार पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत कुरवाई के आदेश क्र. 3047 दिनांक 23 अगस्त 2018 से संविदा सेवा समाप्त की गई।
5. अपीलार्थी द्वारा उक्त आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत विदिशा के समक्ष प्रस्तुत की गई, जिसमे मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत विदिशा द्वारा आदेश क्र. 7451 दिनांक 30 अक्टूबर 2018 से अपीलार्थी की अपील अमान्य कर मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत कुरवाई द्वारा जारी आदेश को यथावत रखा गया।
6. उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद के आदेश क्र. 3729 दिनांक 03 जून 2017 के अनुक्रम में द्वितीय अपील दिनांक 22 नवम्बर 2018 को प्रस्तुत की गई हैं। परिषद के आदेश क्र. 6445 दिनांक 06 सितम्बर 2018 द्वारा ग्राम रोजगार सहायक की नियुक्ति हेतु संशोधित निर्देश के तारतम्य में द्वितीय/अंतिम अपील आयुक्त, मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद अथवा उनके द्वारा नामांकित अति. मुख्य कार्यपालन अधिकारी/संयुक्त आयुक्त को केवल तथ्यों के आधार पर की जा सकेगी। परिषद के उक्त पत्र से संभाग भोपाल के प्रकरण संयुक्त आयुक्त, योजना को सुनवाई हेतु हस्तांतरित किये गये हैं। इस आधार पर अपीलार्थी की अपील पर सुनवाई दिनांक 26 दिसम्बर 2018 नियत की गई।

आज दिनांक 26 दिसम्बर 2018 को जिला पंचायत विदिशा से परियोजना अधिकारी, श्री आर.पी. राय तथा अपीलार्थी श्री शब्बीर खां उपस्थित हुए।

अपील के प्रमुख आधार:-

- जांच के दौरान वरिष्ठ अधिकारियों के अचानक आ जाने के कारण भय के कारण राशि का लेना स्वीकार किया गया, त्रुटिवश एवं घबराहट के कारण हस्ताक्षर किये गये हैं एवं हितग्राहियों से किसी प्रकार का कोई पैसा नही लिया गया हैं।

Scanned by CamScanner

अभिलेखों के अवलोकन व उभय पक्ष के तर्कों का श्रवण किया गया। अपीलार्थी से पूंछे जाने पर की उसके द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत विदिशा के आदेश क्र. 7451 दिनांक 30 अक्टूबर 2018 में उल्लेखित अनुसार अपीलीय अधिकारी के समक्ष रिश्वत लेना स्वीकार किया गया, तो अपीलार्थी द्वारा बताया गया कि उसके द्वारा रिश्वत लेना स्वीकार नही किया गया। तब अपीलार्थी से पूंछे जाने पर की उसके द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत विदिशा द्वारा जारी आदेश में उल्लेखित अनुसार समक्ष में रिश्वत लेना स्वीकार किया गया, के संबंध में सुधार हेतु क्या कोई आवेदन दिया गया हैं तो अपीलार्थी द्वारा इस संबंध में कोई आवेदन नही दिया जाना बताया गया।

अभिलेखों के अवलोकन व उभय पक्ष के तर्कों का श्रवण उपरांत निम्नानुसार स्थिति सामने आईः-

- अपील आधार 1 के संबंध में, अपीलार्थी द्वारा रिश्वत लेना प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष स्वीकार किया गया। रिश्वत लेना स्वीकार करने संबंधी उल्लेख मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत द्वारा प्रेषित प्रतिवेदन क्र. 4812 दिनांक 23 अक्टूबर 2018 में भी हैं।

इस प्रकार प्रकरण में स्पष्ट हैं कि अपीलार्थी द्वारा हितग्राहियों से मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत द्वारा प्रेषित प्रतिवेदन क्र. 4812 दिनांक 23 अक्टूबर 2018 में रिश्वत लेना स्वीकार किया जाना उल्लेखित हैं तथा प्रथम अपीलीय अधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत के आदेश क्र. 7451 दिनांक 30 अक्टूबर 2018 में भी "अपील दौरान समक्ष में भी स्वीकारोक्ति की गई हैं" उल्लेखित हैं। अपीलार्थी का उक्त कृत्य गंभीर अनियमितता की श्रेणी में आता हैं।

अतः अपीलार्थी श्री शब्बीर खां द्वारा प्रस्तुत अपील अमान्य करते हुए मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत विदिशा के आदेश क्र. 7451 दिनांक 30 अक्टूबर 2018 को यथावत रखा जाता हैं।

प्रकरण समाप्त। सर्व संबंधित सूचित हो।

(सुदर्शन कुमार सोनी)
संयुक्त आयुक्त,
म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद

पृ. क्र. 9432/MGNREGS-MP/NR-1/GRS/18 भोपाल दिनांक 29 दिसम्बर, 2018

प्रतिलिपिः-

1. कलेक्टर/जिला कार्यक्र समन्वयक, जिला विदिशा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी/अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक, जिला पंचायत विदिशा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी, जनपद पंचायत कुरवाई, जिला विदिशा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. श्री शब्बीर खां, निवासी ग्राम पंचायत बजीराबाद, जनपद पंचायत कुरवाई, जिला विदिशा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5. स्थापना/ग्राम रोजगार सहायक शाखा, म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

संयुक्त आयुक्त
म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद

Scanned by CamScanner